RAJYA SABHA

Wednesday, the 30th April, 1986/ 10th Vaisakha, 1908 (Saka)

The House met at eleven of the clock, **Mr. Chairman** in the Chair.

RE. CALL FOR "KHALISTAN" BY EXTREMISTS

MR. CHAIRMAN: Before I take up the questions wish to make an announcement. I have received a number of notices in respect of the call for "Khalistan" by some extremists and misguided elements in the country. I have ascertained from the Government that they will be making a statement on this a little after the Question Hour. And in consultation with all the party leaders, I have decided that I will give an opportunity to each one of the party leaders to seek clarifications on this matter, since it is one of very great importance. And if any party leader is not here, then somebody else may be asked to seek clarifications on his behalf.

Now, Question No. 121.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Birla Institute of Technology, Ranchi

*121. SHRI SUKHDEV PRASAD: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under Government's consideration to grant deemed university status to the Birla Institute of Technology, Mesra, Ranchi;

(b) whether it is a fact that the expert committee set up by the University Grants Commission for the purpose has visited the Institute and has recommended for giving the status to the Institute;

(c) whether it is a fact that the UGC has accepted the recommendation of the expert committee; and

(d) if the answers to the parts (a), (b) and (c) above be all in the affirmative, by when decision is likely to be taken in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF EDUCATION AND CULTURE (SHRIMATI SUSHILA ROHATGI): (a) to (c) Yes, Sir.

(d) The recommendations of the Comission have been received and decision will be taken at an early date.

श्री सुखदेव प्रसाद : श्रीमन्, माननीय मंत्री जी से मैं यह जानना चाहूंगा कि थापर इंस्टीट्यूट आफ टैक्नोलोजी और बी० आई० टी०, पिलानी और आगरा इंस्टीट्यूट को इसी आधार पर और इसी स्टेटस पर डीम्ड स्टेटस का दर्जा दिया जा चुका है, लेकिन एक बात और है यू० जी० सी० एग्जीक्यूटिव ने एक कमेटी, सब-कमेटी कायम की, जिसने अपनी रिपोर्ट यूनिवर्सिटी को दे दी है और यूनिवर्सिटी ने इसको मान भी लिया है और फिर भी अभी तक इस इंस्टीट्यूट को डीम्ड इंस्टीट्यूट का दर्जा नहीं दिया जा सका, इसके क्या कारण हैं ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मान्यवर, जहां तक इस बिरला इंस्टीट्यूट टैक्नोलोजी रांची का संबंध है, इसके बारे में माननीय सदस्य का कहना ठीक है कि यू० जी० सी० ने अपनी कमेटी बिठाई थी और रिपोर्ट आ गयी है, उस रिपोर्ट को सरकार ने देखा है । उसके बाद और जानकारी प्राप्त करने की चेष्टा की गयी और वह जानकारी अभी बिहार सरकार से, बिरला इंस्टीट्यूट से, इन सबसे मांगी गयी है । जब वह आ जायेगी तो उस पर अपना अंतिम निर्णय सरकार देगी ।

श्री सुखदेव प्रसाद : सर, माननीय मंत्री जी से यह भी मैं जानना चाहूंगा कि जो रिपोर्ट यू० जी० सी० को प्राप्त हुई है, उसमें क्या-क्या खामियां रह गई हैं, और किन-किन बातों पर बिहार सरकार और दूसरे जरिए से इन्फारमेशन एकत्र की जा रही है ? इसके साथ ही यह भी जानना चाहूंगा कि इसके इकोनोमिक स्टेटस, एजुकेशनल स्टेटस और दूसरे मायने में जिन यूनिवर्सिटीज को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जा चुका है, उनसे कहीं बेहतर यह है, फिर भी क्या दिक्कत हो रही है, जिससे फिर से क्लेरीफिकेशन और कई जगहों से मांगी जा रही हैं ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मान्यवर, जो रिपोर्ट आयी है, इनके पक्ष में आयी है और पता चला है कि ईन्होंने जो कार्य किया है, वह वास्तव में अच्छे और ऊंचे स्तर का है, जो एजुकेशनल आस्पेक्टस और जो नार्म्स हमारी रिसर्च के और टीचिंग के हैं, सबसे बड़ई एण्ड लार्ज इन्होंने अच्छा काम किया है । लेकिन आर्थिक स्टेटस को भी स्पष्ट करना था कि यह बिना किसी मदद के अपने मैन्टीनेन्स को और नानरेकरिंग व्यय को पूरा कर सकेंगे, वाएबिलिटी रहेगी या नहीं, इन के रिसोर्सेज हैं या नहीं, इन सब के बारे में जानकारी की गयी है । इसके अलावा एक विशेष अच्छा काम इन्होंने किया है, जिससे इनके स्वागत किया गया है । इन्होंने विशेष काम यह किया कि जो हमारे एन्टरप्रेन्योर हैं, उनके लघु स्रोत स्थापित करने में अच्छी सहायता की है । उन्होंने 50 प्रतिशत गरीब अपने टीचर और अपने विद्यार्थी जो हैं, बिहार के बाहर से भी लिया है । उनके द्वारा बड़े ऊंचे स्तर का काम किया जा रहा है । जैसे मैंने अभी कहा कुछ चीजें ऐसी हैं, जिनका स्पष्टीकरण होना जरूरी है । जैसे ही यह हो जायेगा, उसके बाद सारी चीजों को ध्यान में रखकर इसका फैसला होगा ।

श्री अश्विनी कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने बिरला इंस्टीट्यूट आफ टक्नोलोजी के बारे में यह कहा है कि उसके बारे में रपट आ गयी है और वह विचाराधीन हैं । मैं यह जानना चाहूंगा कि उसकी सैंट्रल यूनिवर्सिटी या डीम्ड यूनिवर्सिटी या अटोनोमस यूनिवर्सिटी, इन तीनों में से कौनसा दर्जा देना चाहते हैं और उनमें क्या अन्तर होगा ? इसी प्रकार से मेरा दूसरा इसके साथ का प्रश्न है कि इस प्रकार के अच्छे कार्य करने वाले थापर इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलोजी, पटियाला, बी० आई० टी०, पिलानी और दयालबाग, आगरा को जब ये सारी सुविधाएं बड़ी पहले से प्राप्त हो चुकी है तो इसमें इतना विलम्ब क्यों हुआ है ? अन्तिम प्रश्न यह है कि जो भी आप स्टेटस देंगे, उनके बाद इसकी जो आर्थिक स्थिति होगी क्या इसका बोझा जातीय सरकार पर होगा या केन्द्रीय सरकार पर होगा या जिन लोगों ने चलाया है, उन पर होगा ? कितने प्रतिशत उनको केन्द्रीय सरकार लेगी, कितने प्रांतीय को देगी और कितना फाउण्डर संस्था को देना चाहेगी ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मान्यवर, यह जो प्रपोजल आया है, यह एक डीम्ड यूनिवर्सिटी के संबंध में आया है, सरकार जिसमें विचार कर रही है और जो यू० जी० सी० कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर वह डीम्ड स्टेटस डीम्ड के बारे में है । माननीय सदस्य ने जो भी अभी पूछा आर्थिक स्थिति के बारे में, ये सब चीजें भी हैं, जिन पर गौर किया जा रहा है । बाकी चीजों के बारे में भी विचार किया जा रहा है । कुछ को यूनिवर्सिटी आफ कमीशन ने रिकमण्ड किया है । परन्तु फाइनल रिपोर्ट अभी नहीं आयी है ।

श्री रामानन्द यादव : क्या यह बात सही है कि थापर इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलोजी बी० आई० टी०, पिलानी और आगरा इंस्टीट्यूट को समक्ष यूनिवर्सिटी का अधिकार प्राप्त हो गया है और सरकार क्या इस बात को भी बताएगी कि जो एग्जीक्यूटिव कौन्सिल होगी, जब वह यूनिवर्सिटी के रूप में कन्वर्ट की जाएगी तो जो मसरा एग्जीक्यूटिव कौन्सिल है, उसका क्या स्टेटस होगा ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मान्यवर, बिरला इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलोजी, पिलानी का जो है, यह 1964 में स्थापित हुई थी और यह डीम्ड यूनिवर्सिटी 1964 में डिक्लेयर हो गयी थी । अब दूसरे के बारे में है... **(व्यवधान)** ...

श्री रामानन्द यादव : तो बिहार के साथ क्यों इस तरह से आप कर रही हैं ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : बिहार के साथ इसलिये कर रहे हैं कि बिहार के सम्बन्ध में मान्यवर, दो तरह की रायें आयी हैं । एक तो वहां का जो टीचर्स एसोसिएशन हैं, उन्होंने और कुछ औरों ने लिखकर भेजा प्रधान मंत्री जी के पास और एजुकेशन मिनिस्टर के पास और कुछ हमारे माननीय सदस्यों ने भी कहा कि इसको यह दर्जा नहीं देना चाहिये । इसके बाद यहां से कमेटी भेज गयी और बिहार सरकार ने स्वयं अपनी राय बदल दी है और बाद में कहा कि अच्छा, अब इसको दर्जा देना चाहिये और अब हम अपनी टेक्नीकल यूनिवर्सिटी बिहार में नहीं बना रहे हैं कुछ एलीगेशन थे, जिनको एग्जामिन किया गया, इसीलिये भी समय लग । यह जनवरी, 1986 में आयी है इसमें कोई विलम्ब नहीं हुआ है । पर हम, लोग अपना प्रयास करेंगे ।

SHRI INDRADEEP SINHA: Now the Minister has admitted that there is no unanimous recommendation for treating the Birla Institute at Mesra as a deemed university. There is opposition to the proposal also, and the opposition came primarily from the teachers and students of that institution, and also for some time from the Government of Bihar itself. I believe the opposition came also from the Ranchi Universitity. And the main reason for the opposition is the arbitrary behaviour of the authorities of that blessed Birla Institute. And if that Institute is given the status of a deemed university, the arbitrariness is likely to increase. So I would like to ask the honourable Minister what the criterion is fixed by the Government or the UGC for raising any particular institution to the status of a deemed university and how the Birla Institute meets the requirements of that criterion.

SHRIMATI SUSHILA ROHATGI: I shall answer the second part of the question first. On the basis of the investigations carried out the Birla Institute meets all the requirements and it has been recommended by the UGC. It will be in a position to have economic viability and we are trying to find out the position in greater detail. It has high standards of teaching and specifications and specialities. He has also asked whether it will modify its memorandum which will be in conformity with the things which are normally asked. About the allegations that have been made, Sir, every allegation has been gone into, whether the selection is done in an arbitrary manner, whether the merit list is published, whether the evaluation of the entrance test is taken into consideration, whether the national policy on reservation is followed, allegations about faculty position, academic programmes, conduct of examinations functioning of the BIT as an autonomous colleges, etc., etc. All these have been examined and these have been brought to the notice of the Government and this has been recommended to the Government. But, at the last stage, the Government had to get certain clarifications from the Institute, from the Birla Government and from the UGC.

MR. CHAIRMAN: Yes, Mr. Vikal.

श्री रामचन्द्र विकल : क्या मंत्री महोदय की जानकारी में है कि विश्वविद्यालयों में प्रायः क्षेत्रवाद और प्रान्तीयवाद के आधार पर बच्चों को लिया जाता है ।

MR. CHAIRMAN: The question is not relevant. Next Question; Question No. 1222.

श्री रामचन्द्र विकल : मैं पूछ रहा हूं मान्यता देने से पहले यह शर्त लगाना कि हिन्दुस्तान का कोई भी बच्चा.....

MR. CHAIRMAN: No, no. Nothing of what he says will be recorded. Next question. Mr. Ashwini Kumar.

श्री रामचन्द्र विकल :*

Goitre endemic among children in Delhi

*122. SHRI CHATURANAN MISHRA:
SHRI ASHWANI KUMAR:†

Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether the Institute of Nuclear Medicine and Allied Sciences, Delhi has urged Government to declare immediately Delhi endemic to goitre as more than 30 per cent of Delhi's school children were found suffering from goitre as has been reported in the Indian Express of the 7th April, 1986; and

(b) if so, what steps Government propose to take in this regard?

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF FAMILY WELFARE (SHRI S. KRISHNA KUMAR): (a) and (b) Yes, Sir. The Government is aware of the prevalance of goitre in the Union Territory of Delhi. The Salt iodisation programme is the best and cheapest way to eradicate goitre and other iodine deficiency disorders. In order to control the problem, iodised salt is already being made available in the Union Territory of Delhi. The Government also proposes to cover the entire country with supply of iodised salt by 1992, in a phased manner.

श्री अश्विनी कुमार : माननीय सभापति जी, जिस अखबार की कतरन के आधार पर मैंने यह प्रश्न पूछा था उसके अन्दर था कि 1980 से लेकर 31 मार्च, 1986 तक 25 हजार विद्यार्थियों का सर्वेक्षण किया गया है और उसके अन्दर यह बिमारी 30 प्रतिशत में पायी गई है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि यह जो सर्वेक्षण हुआ है इसमें सारे दिल्ली के विद्यालय लिये गये हैं या किसी खास एज ग्रुप के लिए गये हैं या सारे एजग्रुप के लिए गये हैं--बूढ़े से लेकर बच्चे तक लिये गये हैं या यह केवल बच्चों का सर्वेक्षण किया गया है ? अगर यह केवल बच्चों का सर्वेक्षण किया गया है तो प्रतिशत बढ़ जायेगा और अगर सारे समाज को लिया जायेगा तो प्रतिशत घट जायेगा। पहला तो मैं यह आधार जानना चाहूंगा और दूसरे यह कि क्या इस प्रकार का सर्वेक्षण अन्य शहरों में जो इस प्रकार के इलाके हैं तराई वगैरह वहां बिना आयोडीन की वजह से यह बीमारी होती है वहां भी कोई सर्वेक्षण कराया गया है?

SHRI S. KRISHNA KUMAR: Altogether, Sir, four surveys have been conducted on the incidence of goitre in Delhi. The honourable Member is mentioning about the last survey conducted by the Institute of Nuclear Medicine and Allied Sciences. It was a sample survey of ten thousand students. The survey was conducted from 1980 to 83. It is not a total survey. Total survey is not done: it is only a sample survey that has been done. And, Sir, it has been found from the survey that among the children examined, thirty per cent of the girls of pre-pubertal and post-pubertal age group belonging to the lower socio-economic strata of society have a high incidence of goitre.

As far as the second part of the question is concerned, we have conducted surveys on goitre in 19 of the 31 States and Union territories of the country and it has been found that 100 districts, especially in the sub-Himalayan region and other selected districts in the endemic States of the country, have prevalance of goitre.

MR. CHAIRMAN: Yes, put your second supplementary.

---

*Not recorded as ordered by the Chair.

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Ashwani Kumar.